प्रेस विज्ञप्ति
22/01/2026

ईडी ने एम.के. चंद्रन और अन्य के मामले में 1.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने केरल में एम के चंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की 03 अचल संपत्तियों और 02 चल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

केरल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा 11.05.2018 को एम. के. चंद्रन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। उक्त एफआईआर में वर्ष 2007 से 2017 की अवधि के दौरान केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी के फंड के कथित दुरुपयोग का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जांच बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई, जिसने 14.12.2023 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि एम. के. चंद्रन ने 2007-2017 के दौरान केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी के लेखाकार के रूप में काम करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके केएडब्ल्यूएफटीसी के फंड का गबन किया था। जांच में पता चला कि लगभग 6.07 करोड़ रुपये की अपराध की आय नकद के रूप में अर्जित की गई थी और इसे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों, उनकी पत्नी के खातों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर करके हेराफेरी की गई थी।

आगे की जांच जारी है।